रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052023-245595
CG-DL-E-02052023-245595

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1912] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2023/वैशाख 12, 1945
No. 1912] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2023/ VAISAKHA 12, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2023

का.आ. 2000(अ)—मंत्रालय की प्रारुप अधिसूचना का.आ. 3721 (अ.), दिनांक 14 सितम्बर, 2021, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड ,अलीगंज ,नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

और, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य 7.1977 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और राजस्थान राज्य में चुरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में स्थित है;

और, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचना संख्या एफ.7 (379) राजस्व ए/59 तारीख 19 सितम्बर, 1962 द्वारा 1962 में जंगली पशुओं और पक्षियों के संरक्षण के लिए 'रिज़र्व क्षेत्र' घोषित किया गया था। यह क्षेत्र अंतत: राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 20 के अधीन आदेश एफ 7 (118) राजस्व /66 तारीख 11.05.1966 द्वारा 'रिजर्व वन' अधिसूचित किया गया था और 08.09.1966 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया। अंतिम अधिसूचना की अवधि के दौरान खंड का कुल क्षेत्रफल 2014.25 एकड़ (815 हेक्टेयर) था और राजपत्र अधिसूचना संख्या एफ (379) राजस्व /ए/71 तारीख 13.07.1971 द्वारा संशोधित किया गया था। 1983 में कलेक्टर चुरू के द्वारा, कुल 815 हे. क्षेत्रफल में से 96 हेक्टेयर भूमि निकटतम ग्राम के नमक खनिकों और किसानों को आबंटित की गई थी। क्रीड़ा क्षेत्र में प्रवेश नियम, 1958 के नियम 2क के अनुसार राजस्थान वन्यजीव और पक्षी संरक्षण अधिनियम, 1951 की धारा 5 के अंतर्गत रिजर्व क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया जा सकता है। अभयारण्य में 4500 से अधिक ब्लैकबक, चिंकारा और पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातिया है। यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों विषेशतौर से रेप्टर्स के लिए विख्यात है।

और, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पति और जीवजंतु की दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियों जैसे मोथा ग्रास *(साइपेरस रोटुंडुस), रेड फलारोपे (फलारोपुस फुलिकरिउस), चीनी पोंड बगुला (अरदेओला बच्चुस),* रेगिस्तानी मॉनिटर लिर्जाड (*वारानुस ग्रिसेउस), स्पाइनी टेल्ड लिर्जाड* (*यूरोमैस्टिक्स हार्डविक्की),एडोसा (एधाटोडा वासिका), लाल सट्टा (बोइरहानिया डिफ्फुसा),फोग (कल्लिगोनम* पोलीगोनोइड्स*), बान तुलसी (ओकिमुम संक्लुम), लाल*-नेक्कड फलकोन *(फलको चिक्यूइरा), लॉग्गेर फलकोन (फलको जुग्गेर), स्टोलिज्का बुशचैट (सैक्सिकोला मैक्रोरिन्चुस) को वास प्रदान करता है और क्षेत्र में स्थानिक प्रजाति* स्पॉटेड क्रीपर *(सालपोर्निस स्पिलोनोटस)* भी विद्यमान है;

और, अभयारण्य में अनुकूल मोथाई घास की भूमि है जिसमें कंटीले मरूस्थल वनस्पतियों की बिखरी झाड़ियों के साथ-साथ उत्कृष्ट खाद्य मूल्य की विविध बारहमासी प्रजातियां शामिल है;

और, क्षेत्र में मुख्य वनस्पति विद्यमान है जिसमें घास जैसे बौंली (*अकेशिया इएक्लेर्नोन्टी*), झार बेर (*जिजिफस न्यूमुलरिया*), कैर (*कप्पारिस डेसीडुआस*), अडूसा (*अधतोदा वासिका, नीस.*), चोनलाई (*ऐमारैंथस विरिडिस*), बुई (*एरवा टोमेंटोसा, बर्म*), बुई (*एरवा जावानिका*), सत्यनाशी (*अर्केर्नोन मेक्सिका*), पालक (*बीटा वल्गारी, लिन*), लाल सत्ता (*बोरहानिया डिफ्यूसा*), बोगनवेल (*बोगेनविलिया स्पेक्टाबिलिस*), करौंदा (*कैरिसा स्पिनारम*), आक (*कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ऐट*), एकरा (*कैलोट्रोपिस गिगेंटिया, लिन*), बगरू (*क्लियोम ब्रेकीकार्पा*), बथुआ (*चेनोपोडियम एल्बम, लिन*), खरश्रा, सिनियन (*क्रोटोलारिया बुरहिया, बुच*), फोग (*कैलिगोनम पॉलीगोनोइड्स*), बोकाना (*कोमेलिना बेंगालेंसिस*), धतूरा (*धतूरा मेटेल*), भांगड़ा (*एक्लिप्टा प्रोस्ट्रेटा, लिन*), थोर (*यूफोरबिया नेरिफोलिया, लिन*), थोर (*यूफोरबिया निवुलिया, "हैम*), गंगेरन (*ग्रेविया टेनैक्स*), लाना (*हैलॉक्सिलोन सॉलकोर्न्लकम*), खेनप (*लेप्टाडेनिया पायरोटेक्निका, रॉक्सब*), मोराली (*लिसियम बरबरम*), नाक-फनी (*ओपंटिया एलाटियर, मिल*), बान तुलसी (*ओसिमम सैंक्लम*), अरंड (*रिकिनस कम्युनिस, लिन*), दसरान (*रस मायसुरेंसिस, हेने*), सर्पगंधा (*राउवोल्फिया सर्पेन्टाइन, लिन*), साजी (*सालसला ग्रिफिथि*), कटेली (*सोलेनर्न सुरटेन्स*), गोखरू (*ट्रिब्यू_सुरटेंस*), दुधी (*वल्लतिस सोलानेस, रोथ*), हिरन खुरी (*वट्टाकाका वोलुबिलिस*), असव गंधा (*विथानिद सोर्मिफेरा*) आदि है;

और, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य जीवजंतु प्रजातियों जैसे ब्लैक बक (*एंटीलोप सर्विकाप्रा*), इंडियन गज़ेली (*गज़ेलिया गैजेलिया*), ब्लू बुल या नीलगाय (*बोसेलाफस ट्रैगोकैमेलस*), डेजर्ट फॉक्स (*वल्प्स वल्प्स पुसिला*), डेजर्ट कैट (*फेलिस लिबिका*), स्ट्रिप्ड गिलहरी (*फनाम्बुलीज पेनेंटी*), हेज हॉग (*हेमीचिनस ऑरिटस (गमेलिन)*), हेर इंडियन (*लेपस नाइग्रिकोलिस रूफिकाडैटस*), हेर डिजर्ट (*लेपस नाइग्रिकोलिस डायनस*), भारतीय साही (*हिस्ट्रिस इंडिका (केर),* भारतीय गेरबिल (*टेटेरा इंडिका*), जंगल बिल्ली (*फेलिस चाउस (गिल्डेनस्टेड)*), नेवला (हर्पेस्टेस एडवर्ड्स) *आदि के लिए वास प्रदान करता है;*

और, वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य पक्षी प्रजातियों में डेमोइसेले क्रेन *(गरूस विरगो), सामान्य क्रेन (गरूस गरूस), बार*-हेडेड गूज *(एंसर इंडिकस), रूडी शेल्लडक (टैडोर्न फेरूगिनिया), सामान्य टैल (अनस क्रेका), ब्लैक*-शोल्र्डड काइट *(इलानस कैरूलेस), शिकारा (एक्सिपिटर बैडियस), टैनी ईगल (एक्विला रैपैक्स), लैग्गैर फाल्कन (फाल्को जुग्गेर),रेड*-हेडेड फाल्कन *(फाल्को चिक्केरा), मर्लिन (फाल्को कोलम्बेरियस), सामान्य केस्ट्रेल (फाल्को टिन्नुंकुलुस), लेस्सेर केस्ट्रेल (फाल्को नौमानी), स्टेप्पे ईगल (एक्विला निपलेंसेस) ग्रेटर स्पॉटेड ईगल (क्लैंगा क्लैंगा), ईस्टर्न इंपीरियल ईगल (एक्विला हेलियाकल), स्पॉटेड ओवलेट (एथेना ब्रह्मा), यूरेशिन ईगल उल्लू (बुबो बुबो),* शॉर्ट-ईयर उल्लू *(एशियो फ्लेमियस), स्टोलिज्का* बुशचैट*(सक्सिकोला मैक्रोरिंचस), हेन हैरियर (सर्कस साइनियस), पैल्लिड हैरियर (सर्कस मैक्रोरूस), मोंटेग्यू हैरियर (सर्कस पाइगारगस), पश्चिमी मार्श हैरियर (सर्कस एरूगिनोसस), साइबेरियन स्टोनचैट (सैक्सिकोला मौरस), रिचडर्स पिपिट (एंथुस रिचार्डी), लॉन्ग*-बिल्लेड पिपिट *(एंथस सिमिलिस), टैनी पिपिट (एंथुस कैम्पेस्ट्रिस), वाटर पिपिट*

*(एंथुस स्पिनोलेट्टा), ब्लैक ड्रोंगो (डिक्रूरस मैक्रोसेर्कस), शॉर्ट-*टोड स्नेक ईगल *(क्रिकटस गैलिकस), पाइड एवोकेट (रिकुर्विरोस्ट्रा एवोसेट्टा), उत्तरी पिंटैल (अनास अकुटा), सामान्य कूट (फुलिका एट्रा), वाइट-*टेल्ड लैपविंग *(वैनेलस ल्यूकूरस),* रेड-वॉटल्ड लैपविंग *(वैनेलस इंडिकस), येलो-*वॉटल्ड लैपविंग *(वैनेल्लुस मालाबरिकस), सोशेबल लैपविंग (वेनेल्लुस ग्रेगेरियस), लिटिल ग्रेबे(टैचीबैप्टस रूफिकोल्लिस), ब्लैक-*विंगेड स्टिल्ट *(हिमांटोपुस हिमांटोपुस), ग्रे फ्रेंकोलिन (फरांकोलिनस पोंडिकेरिअनस), रूफ्फ (फिलोमाचुस पुगनाक्स), गडवाल (अनास स्ट्रेपेरा), यूरेशियन विजोन (मारेका पेनेलोपे), चेस्नट-*बेल्लिड सैंड ग्राउज *(पटेरोक्लेस एक्सस्टस)* आदि विद्यमान है; (तालछापर वन्यजीव अभयारण्य में अभिलेखित पक्षियों का विवरण परिशिष्ट VI पर दिया गया है।)

और, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य में तितली**,** कीडे**-**मकोड़ों और सरीसृपों की महत्वपूर्ण प्रजातियां वाटर स्केवेंजर बीटल *(हाइड्रोफिलिडे), प्रेडाशियस डाइविंग बीटल (एगबस बाइकलर),* रिफ्फ्ले *बीटल (इलमिडे), मार्श बीटल (प्रयोनोसाइफन लिम्बाटा), बैकस्विम्मर (नोटोनेक्टिडे), वाटर बोटमैन (कोरिक्सडे), वाटर स्ट्राइडर (गेर्रिडे), वाटर* स्कोर्पियन (नेपिडए), बटरफ्लाईज़ *(रहोपालोकेरा), स्टिक* इंसेक्ट *(फस्मेटोडिया),* प्रेयिंग मंटिस (मंटोडिया*), ग्रासहोप्पेर (कैलीफेरा), लोकुस्ट (डिसएमबीगुएशन), क्रिकेट (ग्रिलिडे), मेटेल्लिक बीटल (बुप्रेस्टडे), डंग बीटल (फेनेयस विंडक्स मैकलाचलान), टॉयलेट बीटल (विरगिनिया स्कोफ्फेड), हनी बी (एपिस मेल्लिफेरा), वासप (वेस्पुला वुलगारिस),* क्सिलोकप्पा *(कारपेंटर बी), सैंड वासप (बेम्बिकिनि), मडवासप (मड दुबेर),* सिफिंक्समोथ *(स्फिंगिआडिया), फायरफ्लाई (*लाम्पीरिदै*), किकिदा (किकादीदाइ), टर्मिट (*ईसोप्टेरा*),* कॉक्रोच *(बलाट्टेल्ला असाहिनाई), ब्लिस्टेर बीटल (मेलोआडिया), पेंटाटोमिड बग (पेंटाटोमाईडे), ब्यूप्रेस्टिड बीटल (बप्रेस्टिडे),* मॉनिटर लिर्जाड *(वारानस ग्रिसेउस डासुदीन), पायथन (केनस पायथन),* स्टार्रड कछुआ *(गेओचालोने इलेगानस), भारतीय कोबरा (नाजा नाजा), सामान्य भारतीय करैत (बुंगारूस कैरूलेउस), रूस्सेल विपेर(विपेरा रूस्सेल्ली), साव-*सील्ड विपर *(इचिस करिनाटा), जोहन अर्थ बोआ (*एरिक्स जोहनी*), स्पिनी टैलेड लिर्जाड (*उरोमस्टिक्स हार्डविकी*), धामन या रेट स्नेक (पतयस मुकोसुस), ब्रुक्स गेक्को (हेमिडाक्लुस ब्रुरोकी), हाउस गेक्को (*हेमिडेक्टीलुस *फ्लाविविरीडिस), सामान्य ग्रार्डन लिर्जाड (कलोटेस वेरसिकोलोर), सामान्य स्किंक (माबुया कैरिनाटा)* आदि विद्यमान है;

और, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1.0 किलोमीटर से 3.4 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर **1.0 किलोमीटर से 3.4 किलोमीटर** तक विस्तृत है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल **22.45 वर्ग किलोमीटर** है।

विभिन्न दिशाओं (किलोमीटर) में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:-

दिशा	**विस्तार**
उत्तर	1.0 किलोमीटर
उत्तर-पूर्व	2.9 किलोमीटर
पूर्व	1.0 किलोमीटर
दक्षिण-पूर्व	1.0 किलोमीटर
दक्षिण	3.4 किलोमीटर
दक्षिण-पश्चिम	1.2 किलोमीटर

पश्चिम	1.6 किलोमीटर
उत्तर-पश्चिम	1.3 किलोमीटर

(2) ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न है।

(4) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र **अनुलग्नक–IIIक, अनुलग्नक–IIIख, अनुलग्नक–IIIग, अनुलग्नक–IIIघ, अनुलग्नक –IIIङ** और **अनुलग्नक –IIIच** के रूप में संलग्न है।

(5) ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू- निर्देशांक **अनुलग्नक-IVक** और **अनुलग्नक-IVख** में दिए गए है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और उसे राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य कानूनों के अनुरूप एवं केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

i. पर्यावरण;
ii. वन और वन्यजीव;
iii. कृषि;
iv. राजस्व;
v. शहरी विकास;
vi. पर्यटन;
vii. ग्रामीण विकास;
viii. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
ix. नगरपालिका;
x. पंचायती राज;
xi. लोक निर्माण विभाग;
xii. राजमार्ग, और
xiii. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, मौजूदा जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी मौजूदा पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उस तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों का सहायक मानचित्र के साथ सीमांकन किया जाएगा। योजना में मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्रों का सहारा लिया जायेगा।

(7) आंचलिक महायोजना से पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन होगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा तथा इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास को भी सुनिश्चित एवं संवर्धिन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों का निष्पादन कर सके।

(10) आंचलिक महायोजना के प्रावधानों का पर्याप्त प्रचार किया जाएगा।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनो-विनोद के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय परिसरों या प्रमुख औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपरोक्त भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का अपवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

i. मौजूदा सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें मजबूत बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना;

ii. बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

iii. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

iv. कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; गृहवास सहित पारि-पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं; और

v. पैराग्राफ 4 में उल्लिखित संवर्धित क्रियाकलापः

बशर्ते इसके अलावा क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के प्रावधनों या तत्समय लागू कानून, जिसमें अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी शामिल है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा:

बशर्ते पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के रिकॉर्डों में होने वाली किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

बशर्ते उपर्युक्त त्रुटि में सुधार इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के अलावा, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा;

(ख) उपयोग न किये गए या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल निकाय.**- सभी प्राकृतिक झरनों/नदियों/चैनलों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्धार की योजनाओं को आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस तरह से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उनके आस-पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हो।

(3) **पर्यटन अथवा पारि-पर्यटन.–**

क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या मौजूदा पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

ख) पारि-पर्यटन महायोजना पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

घ) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर आंचलिक महायोजना तैयार किया जाएगा;

ङ) पारि-पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी निकटतर हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगाः

बशर्ते, पारि-पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व निर्धारित और निर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या मौजूदा पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में जारी दिशानिर्देशों तथा पारि-पर्यटन, पारि-शिक्षा और पारि-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण समय-समय पर यथा संशोधित द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा;

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नही हो जाता, पर्यटन के विकास और मौजूदा पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का निर्माण अनुमत नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, चट्टान संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा तत्संबंधी संशोधनों के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधनों और तत्संबंधी संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शोधित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषणों के निस्सरण के साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के प्रावधनों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जायेगा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2016 को प्रकाशित किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्टों का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमत किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात.-** वाहन-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे, आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहन-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे सीएनजी, एलपीजी आदि के उपयोग हेतु प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-**

क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन से या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई भी नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी विनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

ख) जिन विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी विनिर्माण की अनुमति नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बने नियमों के

उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू कानून जिनमें वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (69 का 1980) भारतीय वन अधिनियम, 1927 (16 का 1927) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (53 का 1972) शामिल है के अनुसार तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. **(1)**	**क्रियाकलाप** (2)	**टिप्पणी** (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों का विनिर्माण या मरम्मत हेतु धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4 अगस्त, 2006 के आदेश और वर्ष 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगीः बशर्ते कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी, समय-समय पर यथा संशोधित दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अशोधित बहिस्रावों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध।
6.	ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और सामान्य भस्मीकरण सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस अपशिष्ट के अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पताल आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मक सुविधा की स्थापना निषिद्ध है।
7.	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
8.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।

	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना*।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के विनिर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिर्सोटो की स्थापना अनुमत नहीं होगी: बशर्ते कि, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुमति होगी।
11.	विनिर्माण क्रियाकलाप*।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: बशर्ते कि स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए विनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित निर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु पैमाने के उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी, समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किए जाएंगे।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किए जाएंगे।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

19.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सरण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सरण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि ।	विनियमित होगा और इन गतिविधियों को सक्षम प्राधिकरण द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी।ए
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरों सहित कुटीर उद्योग आदि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि या वनों या पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

*** डब्ल्यू.पी. 2022 का 131377 में और डब्ल्यू.पी. 1995 का 202, टी.एन. गोदावर्मन मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के निष्कर्ष के अधीन।**

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- इस अधिसूचना के प्रावधानों की प्रभावी निगरानी के लिए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित को शामिल करके एक निगरानी समिति का गठन करती है, अर्थात्:-

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
1.	जिला कलेक्टर, चुरू	अध्यक्ष, पदेन;
2.	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि राजस्थान सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	गैर सरकारी सदस्य;
3.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ राजस्थान सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
4.	जैव विविधता में एक विशेषज्ञ राजस्थान सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
5.	लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
6.	नगर नियोजन विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
7.	उद्योग विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;;
8.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ)	सदस्य, पदेन;;
9.	वन्यजीव वार्डन, चुरू	सदस्य, पदेन;;
10.	रेंज वन अधिकारी, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य	सदस्य, पदेन;;
11.	सहायक वन संरक्षक, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य	सदस्य, पदेन;;
12.	उप वन संरक्षक, चुरू	सदस्य सचिव, पदेन;

6. शर्तें और कार्य:-

(1) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर विनिर्दिष्ट निगरानी समिति द्वारा जाँच की जाएगी और उक्त अधिसूचना के प्रावधनों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, को निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा जाँच की जाएगी और उसे सम्बंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या सम्बंधित कलेक्टर या सम्बंधित उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 19) की धारा 19 के अधीन शिकायत दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(4) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **अनुलग्नक V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(6) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्यो के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के प्रावधनों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के प्रावधान भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/09/2019-ईएसजेड]

डॉ. एस. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक-I

ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पूर्वी सीमा: रेलवे स्टेशन छापर से उस बिंदु तक किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाईवे जहां देवानी-गुलेरियन की सीमा राजस्व ग्राम राजमार्ग को अलग करती है, रामपुर ग्राम को छोड़कर देवनी छापर रोड और मेगा हाईवे के जंक्शन तक जहाँ यह अभयारण्य से 01 किमी से कम की दूरी पर है, यह रामपुर ग्राम के खेतों से होकर गुजरता है।

दक्षिणी सीमा: मेगा हाईवे से उस बिंदु तक देवानी –गुलेरियन और सूरवास- गुलेरियन ग्रामों की राजस्व ग्राम सीमा तक है जहां सूरवास-सुजागढ़ कट्टानी रास्ता के राजस्व सीमा को अलग करती है; और, सूरवास-सुजानगढ़ कट्टानी रास्ता सूरवास ग्राम में उसके आरंभ स्थान तक जाती है।

पश्चिमी सीमा: चडवास-बीदासर सड़क पर ग्राम सूरवास अभयारण्य की सीमा से 1 किमी की दूरी पर छापर शहर तक चरवास और छापर के कृषि क्षेत्रों से गुजरते हुए पहले सड़क वक्र तक जाती है।

उत्तरी सीमा: चरवास ग्राम की सीमा से छापर शहर तक (अभयारण्य से **1** किमी की दूरी पर) जाती है। ।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सम्मिलित भूमि के भूमि उपयोग पैटर्न

1. रिजर्व वन:- 719 हेक्टेयर अधिसूचित और ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में प्रबंधित किया जा रहा है।

2. वन भूमि:–अभयारण्य की पश्चिम सीमा के समीपवर्ती **78** हेक्टेयर भूमि।

3. साल्ट पैन:- अभयारण्य की पश्चिम सीमा के समीपवर्ती 450 हेक्टेयर, जो औद्योगिक विभाग के नियंत्रण के अधीन प्रबंधित किया जा रहा है;

4. निजी कृषि भूमि, राजस्व भूमि, स्कूल, गांधीसागर, रॉयल कोठी और अलग-अलग आवास आदि:- लगभग **1**710 हेक्टेयर।

5. अभयारण्य के पूर्व:- गौशाला छापर, लगभग **300** हेक्टेयर

अनुलग्नक-II

भू-निर्देशांक सहित पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम/कस्बों की सूची

पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में आने वाले ग्राम/कस्बों की प्रमुख सीमाओं के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	जिला/प्रभाग	तहसील	ग्राम/कस्बों का नाम	अक्षांश	देशांतर
i.	चुरू	सुजानगढ़	चाड़वास	27° 48' 02.1" उ	74° 24' 35.3" पू
ii.	चुरू	सुजानगढ़	देवानी	27° 47' 29.4" उ	74° 27' 16.8" पू
iii.	चुरू	सुजानगढ़	रामपुर	27° 48' 00.8" उ	74° 27' 39.5" पू
iv.	चुरू	सुजानगढ़	सूरवास	27° 46' 22.7" उ	74° 25' 31.0" पू
v.	चुरू	सुजानगढ़	छापर	27° 48' 39.9" उ	74° 26' 14.0" पू

अनुलग्नक-IIIक

ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्तिथिक संवेदी जोन का अवस्थिति मानचित्र

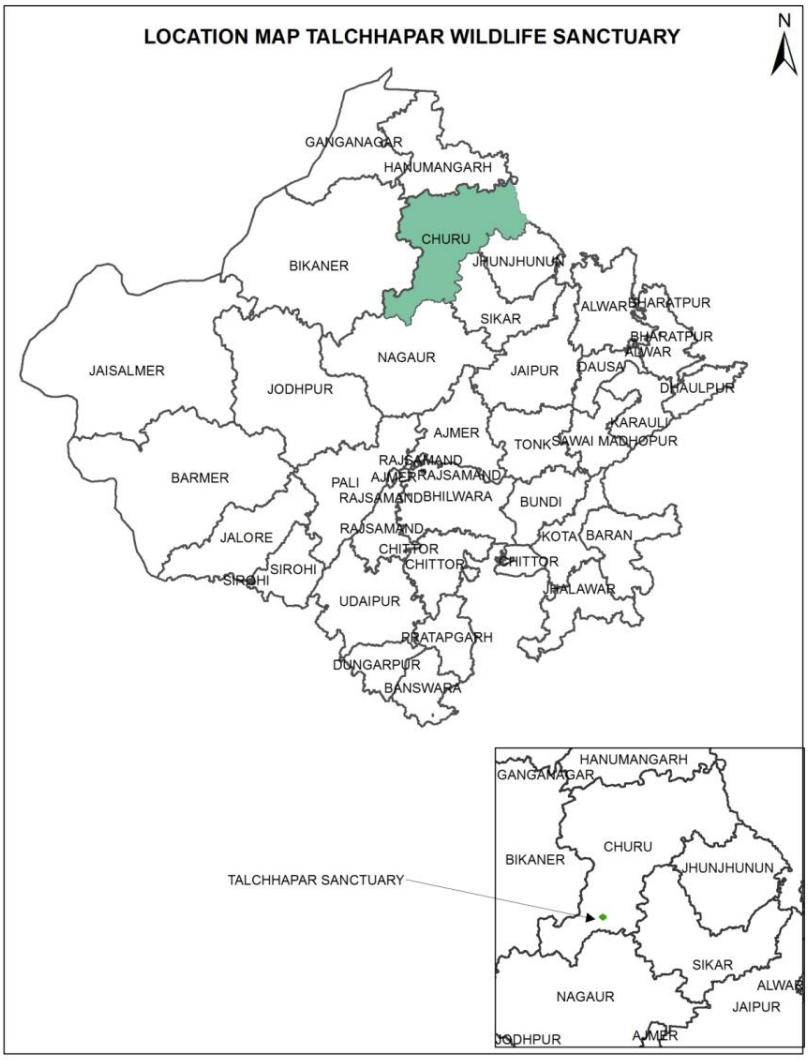

अनुलग्नक-IIIख

भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) टोपोशीट पर संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का डिजिटल मानचित्र

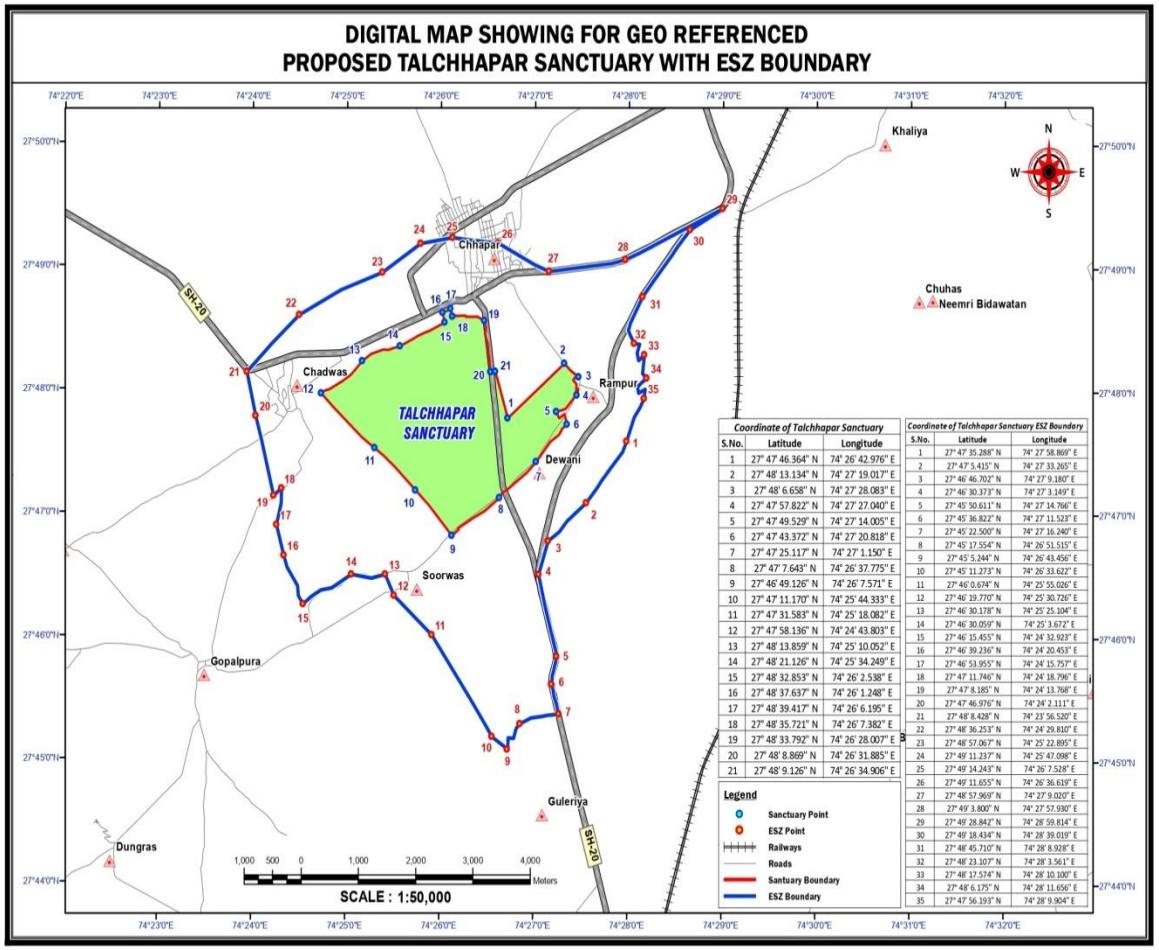

अनुलग्नक-III ग

भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) की टोपोशीट पर ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्तिथिकी संवेदी जोन का मानचित्र

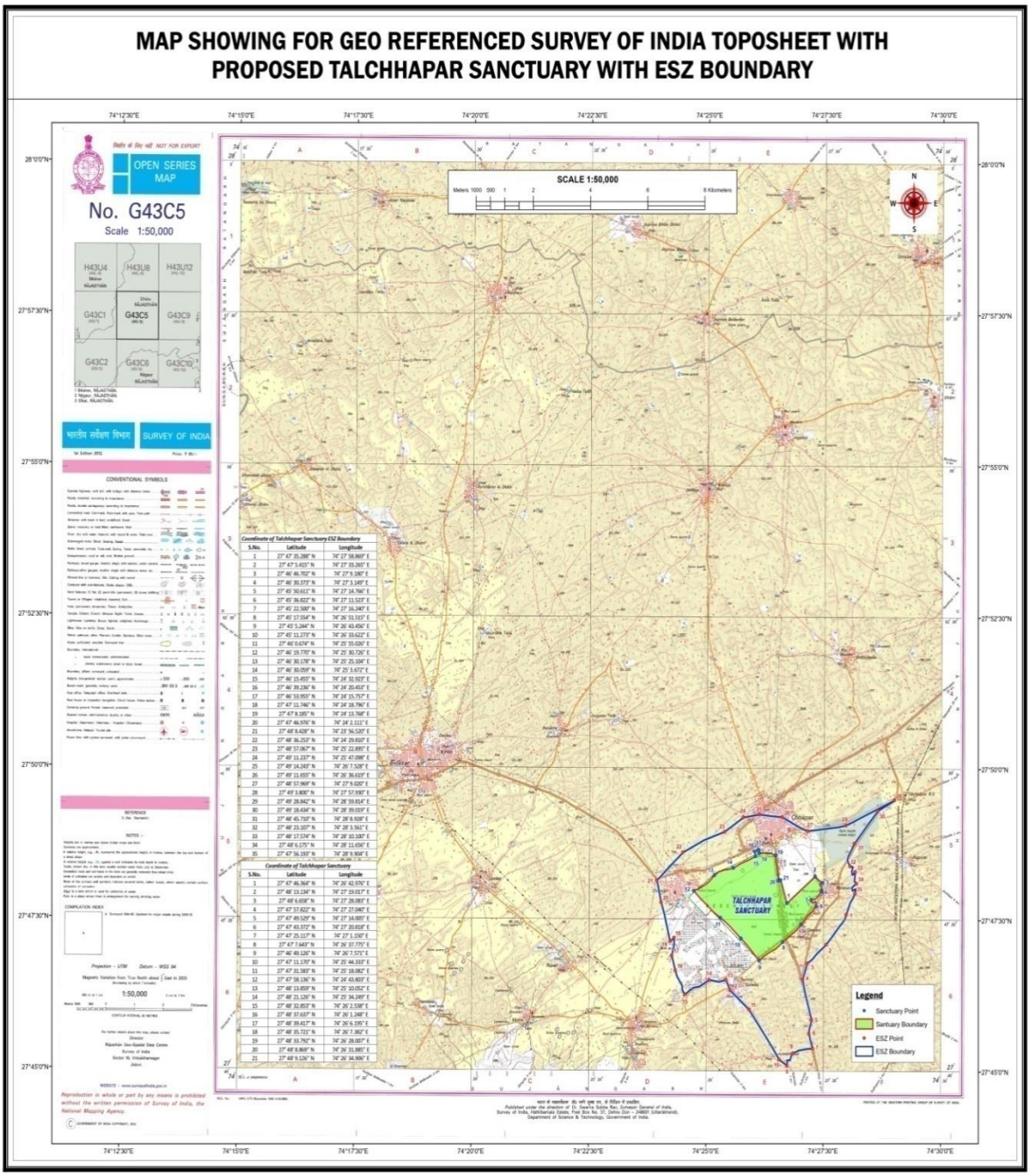

अनुलग्नक-IIIघ

ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्तिथिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र

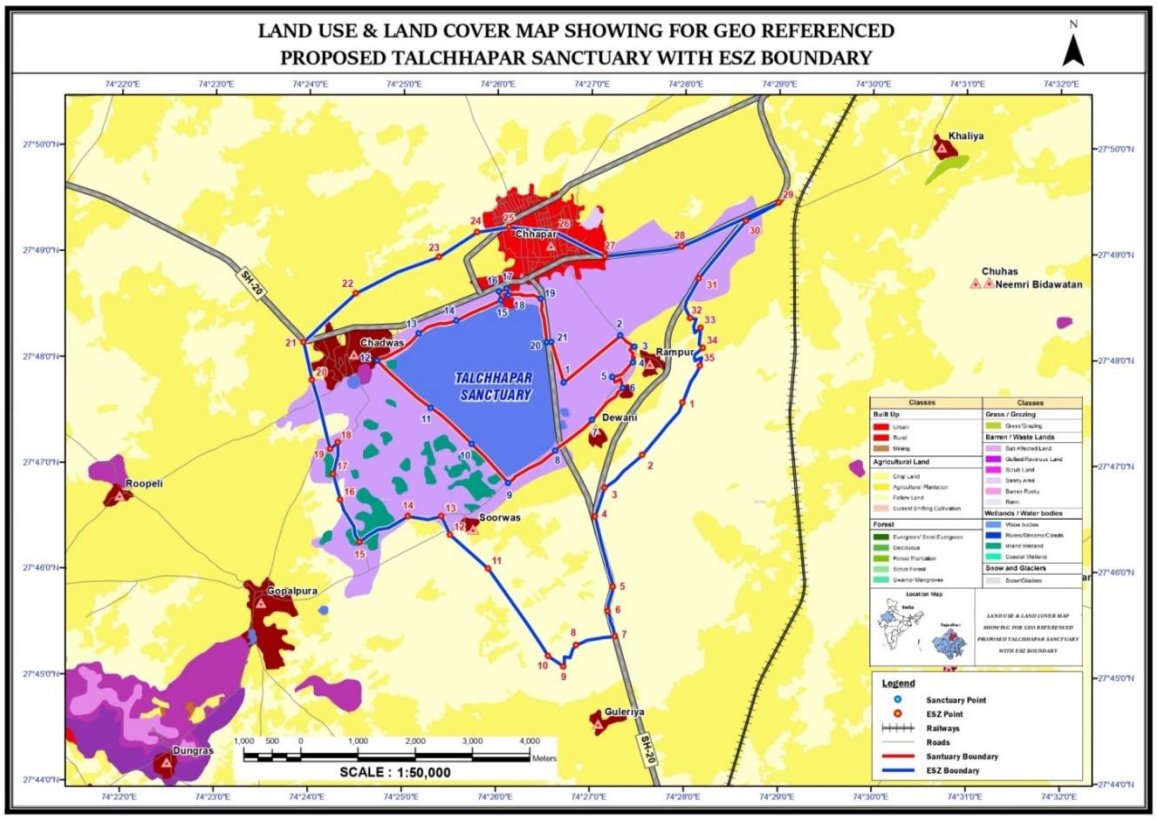

अनुलग्नक-IIIङ

ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्तिथिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र

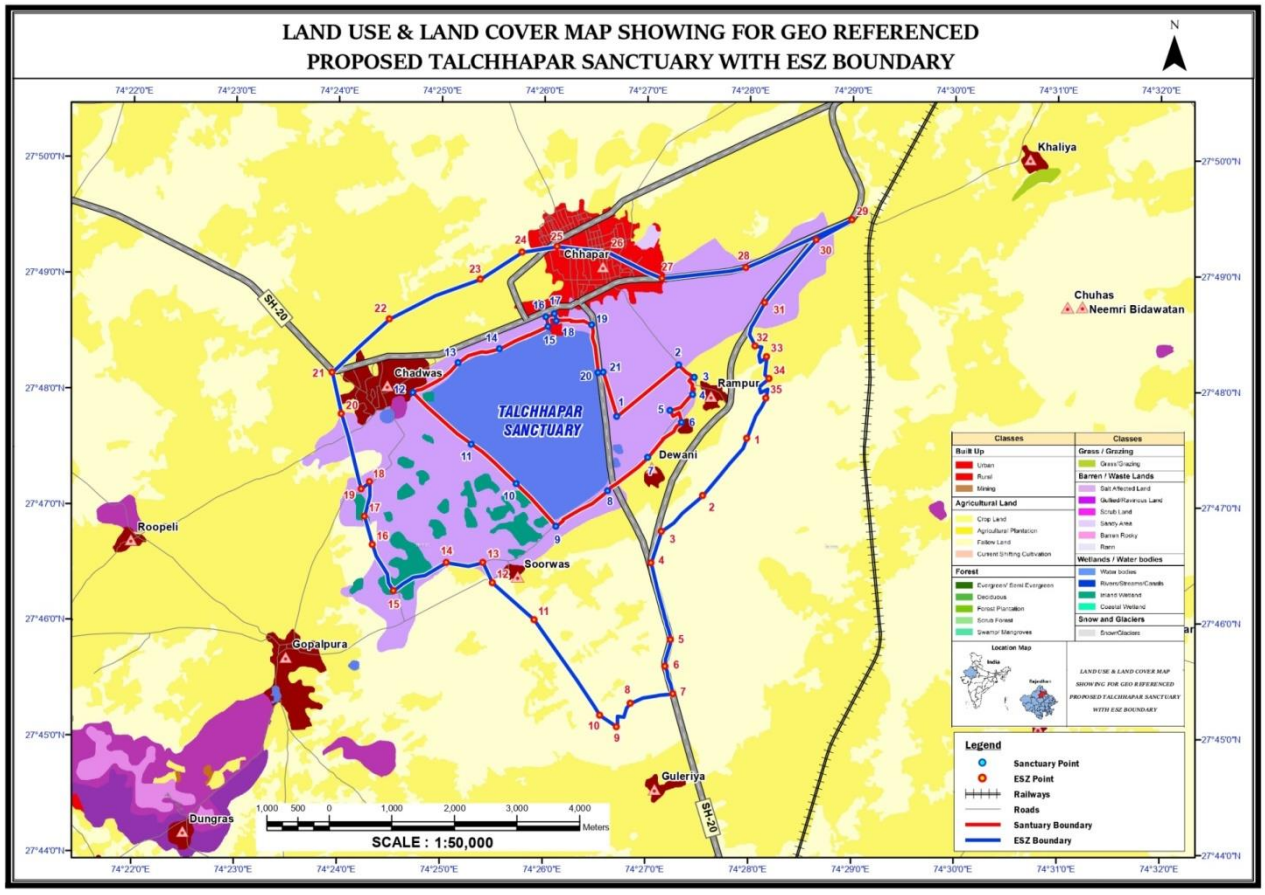

अनुलग्नक-IIIच

ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्तिथिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

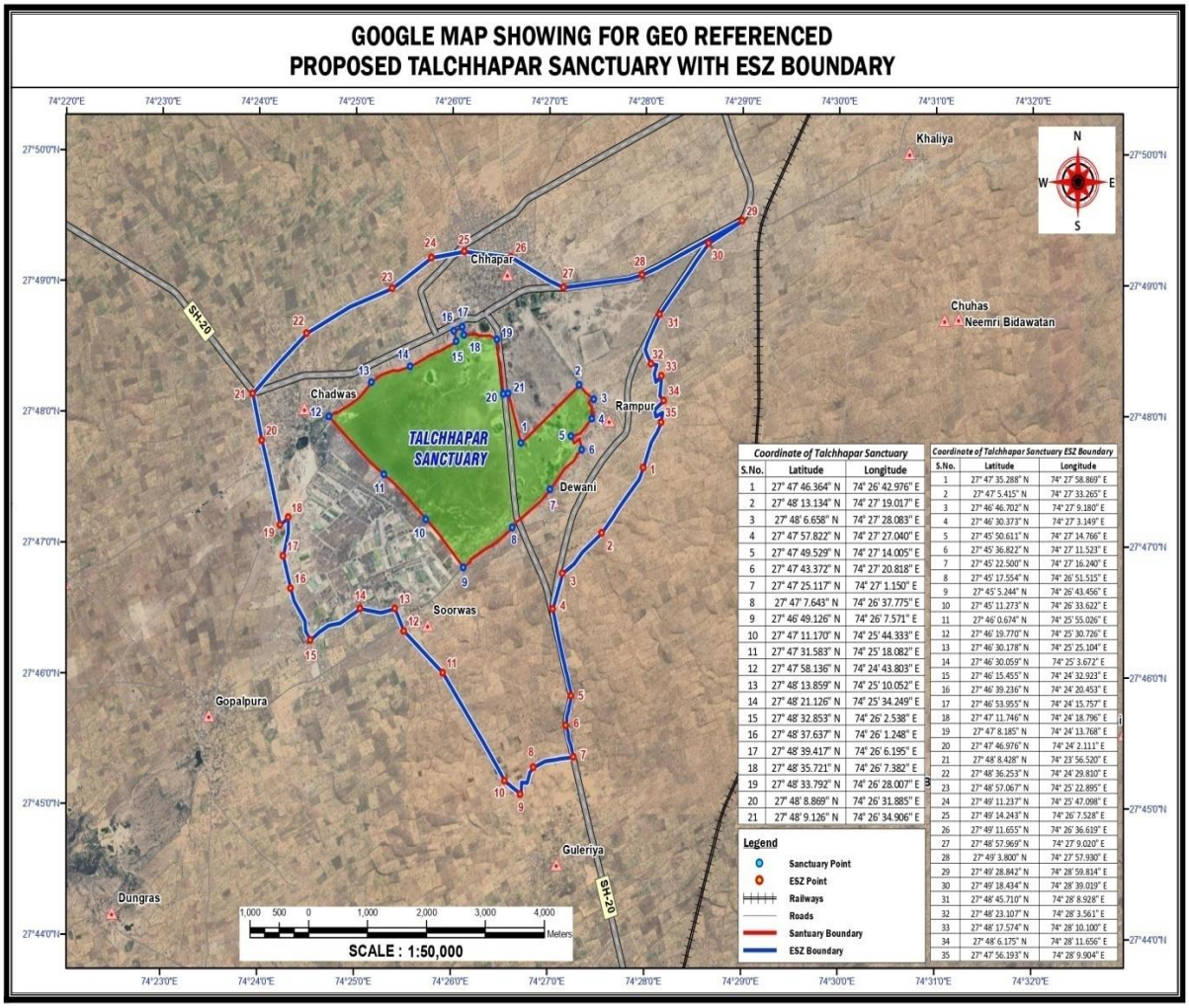

Coordinate of Talchhapar Sanctuary

S.No.	Latitude	Longitude
1	27° 47' 46.364" N	74° 26' 42.976" E
2	27° 48' 13.134" N	74° 27' 19.017" E
3	27° 48' 6.658" N	74° 27' 28.083" E
4	27° 47' 57.822" N	74° 27' 27.040" E
5	27° 47' 49.529" N	74° 27' 14.005" E
6	27° 47' 43.372" N	74° 27' 20.818" E
7	27° 47' 25.117" N	74° 27' 1.150" E
8	27° 47' 7.643" N	74° 26' 37.775" E
9	27° 46' 49.126" N	74° 26' 7.571" E
10	27° 47' 11.170" N	74° 25' 44.333" E
11	27° 47' 31.583" N	74° 25' 18.082" E
12	27° 47' 58.136" N	74° 24' 43.803" E
13	27° 48' 13.859" N	74° 25' 10.052" E
14	27° 48' 21.126" N	74° 25' 34.249" E
15	27° 48' 32.853" N	74° 26' 2.538" E
16	27° 48' 37.637" N	74° 26' 1.248" E
17	27° 48' 39.417" N	74° 26' 6.195" E
18	27° 48' 35.721" N	74° 26' 7.382" E
19	27° 48' 33.792" N	74° 26' 28.007" E
20	27° 48' 8.869" N	74° 26' 31.885" E
21	27° 48' 9.126" N	74° 26' 34.906" E

Coordinate of Talchhapar Sanctuary ESZ Boundary

S.No.	Latitude	Longitude
1	27° 47' 35.288" N	74° 27' 58.869" E
2	27° 47' 5.415" N	74° 27' 33.265" E
3	27° 46' 46.702" N	74° 27' 9.180" E
4	27° 46' 30.373" N	74° 27' 3.149" E
5	27° 45' 50.611" N	74° 27' 14.766" E
6	27° 45' 36.822" N	74° 27' 11.523" E
7	27° 45' 22.500" N	74° 27' 16.240" E
8	27° 45' 17.554" N	74° 26' 51.515" E
9	27° 45' 5.244" N	74° 26' 43.456" E
10	27° 45' 11.273" N	74° 26' 33.622" E
11	27° 46' 0.674" N	74° 25' 55.026" E
12	27° 46' 19.770" N	74° 25' 30.726" E
13	27° 46' 30.178" N	74° 25' 25.104" E
14	27° 46' 30.059" N	74° 25' 3.672" E
15	27° 46' 15.455" N	74° 24' 32.923" E
16	27° 46' 39.236" N	74° 24' 20.453" E
17	27° 46' 53.955" N	74° 24' 15.757" E
18	27° 47' 11.746" N	74° 24' 18.796" E
19	27° 47' 8.185" N	74° 24' 13.768" E
20	27° 47' 46.976" N	74° 24' 2.111" E
21	27° 48' 8.428" N	74° 23' 56.520" E
22	27° 48' 36.253" N	74° 24' 29.810" E
23	27° 48' 57.067" N	74° 25' 22.895" E
24	27° 49' 11.237" N	74° 25' 47.098" E
25	27° 49' 14.243" N	74° 26' 7.528" E
26	27° 49' 11.655" N	74° 26' 36.619" E
27	27° 48' 57.969" N	74° 27' 9.020" E
28	27° 49' 3.800" N	74° 27' 57.930" E
29	27° 49' 28.842" N	74° 28' 59.814" E
30	27° 49' 18.434" N	74° 28' 39.019" E
31	27° 48' 45.710" N	74° 28' 8.928" E
32	27° 48' 23.107" N	74° 28' 3.561" E
33	27° 48' 17.574" N	74° 28' 10.100" E
34	27° 48' 6.175" N	74° 28' 11.656" E
35	27° 47' 56.193" N	74° 28' 9.904" E

अनुलग्नक-IVक

मानचित्र पर दिखाए गए संरक्षित क्षेत्र के ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा सहित प्रमुख स्थानों का अक्षांश-देशांतर

ताल छापर अभयारण्य के निर्देशांक		
क्र.स.	**अक्षांश**	**देशांतर**
1	27° 47' 46.364" उ	74° 26' 42.976" पू
2	27° 48' 13.134" उ	74° 27' 19.017" पू
3	27° 48' 6.658" उ	74° 27' 28.083" पू
4	27° 47' 57.822" उ	74° 27' 27.040" पू
5	27° 47' 49.529" उ	74° 27' 14.005" पू
6	27° 47' 43.372" उ	74° 27' 20.818" पू
7	27° 47' 25.117" उ	74° 27' 1.150" पू
8	27° 47' 7.643" उ	74° 26' 37.775" पू
9	27° 46' 49.126" उ	74° 26' 7.571" पू
10	27° 47' 11.170" उ	74° 25' 44.333" पू
11	27° 47' 31.583" उ	74° 25' 18.082" पू
12	27° 47' 58.136" उ	74° 24' 43.803" पू
13	27° 48' 13.859" उ	74° 25' 10.052" पू
14	27° 48' 21.126" उ	74° 25' 34.249" पू
15	27° 48' 32.853" उ	74° 26' 2.538" पू
16	27° 48' 37.637" उ	74° 26' 1.248" पू
17	27° 48' 39.417" उ	74° 26' 6.195" पू
18	27° 48' 35.721" उ	74° 26' 7.382" पू
19	27° 48' 33.792" उ	74° 26' 28.007" पू
20	27° 48' 8.869" उ	74° 26' 31.885" पू
21	27° 48' 9.126" उ	74° 26' 34.906" पू

अनुलग्नक-IVख

ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य विस्तृत पारिस्तिथिक संवेदी जोन जी.पी.एस बिंदु

ताल छापर अभयारण्य पारिस्तिथिक संवेदी जोन के निर्देशांक		
क्र.स.	**अक्षांश**	**देशांतर**
1	27° 47' 35.288" उ	74° 27' 58.869" पू
2	27° 47' 5.415" उ	74° 27' 33.265" पू
3	27° 46' 46.702" उ	74° 27' 9.180" पू

4	27° 46' 30.373" उ	74° 27' 3.149" पू
5	27° 45' 50.611" उ	74° 27' 14.766" पू
6	27° 45' 36.822" उ	74° 27' 11.523" पू
7	27° 45' 22.500" उ	74° 27' 16.240" पू
8	27° 45' 17.554" उ	74° 26' 51.515" पू
9	27° 45' 5.244" उ	74° 26' 43.456" पू
10	27° 45' 11.273" उ	74° 26' 33.622" पू
11	27° 46' 0.674" उ	74° 25' 55.026" पू
12	27° 46' 19.770" उ	74° 25' 30.726" पू
13	27° 46' 30.178" उ	74° 25' 25.104" पू
14	27° 46' 30.059" उ	74° 25' 3.672" पू
15	27° 46' 15.455" उ	74° 24' 32.923" पू
16	27° 46' 39.236" उ	74° 24' 20.453" पू
17	27° 46' 53.955" उ	74° 24' 15.757" पू
18	27° 47' 11.746" उ	74° 24' 18.796" पू
19	27° 47' 8.185" उ	74° 24' 13.768" पू
20	27° 47' 46.976" उ	74° 24' 2.111" पू
21	27° 48' 8.428" उ	74° 23' 56.520" पू
22	27° 48' 36.253" उ	74° 24' 29.810" पू
23	27° 48' 57.067" उ	74° 25' 22.895" पू
24	27° 49' 11.237" उ	74° 25' 47.098" पू
25	27° 49' 14.243" उ	74° 26' 7.528" पू
26	27° 49' 11.655" उ	74° 26' 36.619" पू
27	27° 48' 57.969" उ	74° 27' 9.020" पू
28	27° 49' 3.800" उ	74° 27' 57.930" पू
29	27° 49' 28.842" उ	74° 28' 59.814" पू
30	27° 49' 18.434" उ	74° 28' 39.019" पू
31	27° 48' 45.710" उ	74° 28' 8.928" पू
32	27° 48' 23.107" उ	74° 28' 3.561" पू
33	27° 48' 17.574" उ	74° 28' 10.100" पू
34	27° 48' 6.175" उ	74° 28' 11.656" पू
35	27° 47' 56.193" उ	74° 28' 9.904" पू

अनुलग्नक-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र - पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में संलग्न करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की अवस्थिति।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्रवाई किए गए मामलों का सार। (विवरण अनुबंध के रुप में संलग्न किए जाएं)
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों के लिए जांच किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक अनुबंध के रुप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों के लिए जांच किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक अनुबंध के रुप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2023

S.O. 2000(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 3721 (E), dated 14th September, 2021, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

AND WHEREAS, The Tal Chhapar Wildlife Sanctuary is spread over an area of 7.1977 Square Kilometres and is located in Sujangarh Tehsil of Churu District in the state of Rajasthan.

AND WHEREAS, Tal Chhapar was declared a 'Reserved area' for the protection of wild animals and birds in 1962, *vide* notifications no. F.7 (379) Revenue A/ 59 dated 19th September, 1962. This area was finally notified as Reserved Forest *vide* order F7 (118) Revenue/66 dated 11th May, 1966 under section 20 of Rajasthan Forest Act, 1953 and published in Rajasthan gazette on 8th September, 1966. At the time of final notification total area of the block was 2014.25 acre (815 Ha.). This was further amended vide Gazette Notification No. F (379) revenue /A/71 dated 13.07.1971. Out of 815 Ha, total area about 96 Ha. Of land was allotted to the salt miners and farmer of nearby village by collector Churu in 1983. As per entrance to games areas rules 1958 rule 2A, the areas declared as Reserve Areas under section 5 of the Rajasthan Wild Animals and Birds Protection Act, 1951, could be declared as sanctuaries. The sanctuary is house to more than 4500 Blackbucks, Chinkara and more than 250 species of birds. The area is widely popular for migratory birds especially raptors.

AND WHEREAS, the Tal Chhapar Wildlife Sanctuary provide habitat to rare, endangered and threatened species of flora and fauna such as motha grass *(Cyperus rotundus),* red phalarope *(Phalaropus fulicarius),* Chinese pond heron *(Ardeola bacchus),* desert monitor lizard (*Varanus griseus),* spiny tailed lizard(*Uromastyx hardwickii),* adoosa *(Adhatoda vasica),* lal satta *(Boerhania diffusa),* phog *(Calligonum polygonoides),* ban tulsi*(Ocimum sanclum),* red-necked falcon*(Falco chicquera),* lagger falcon *(Falco jugger),* Stoliczka'sbushchat *(Saxicola macrorhynchus)*and endemic species of Spotted Creeper *(Salpornis spilonotus)* is also present in the area*;*

AND WHEREAS, the sanctuary has ideal Mothai Grass land comprised of diversified perennial species of excellent food value along with scattered bushes of thorny desert flora;

AND WHEREAS, the major vegetation present in the area includes grasses such as Baunli *(Acacia iacquernonti),* Jhar Ber *(Ziziphus nummularia),* Kair *(Capparis deciduas),* Adoosa *(Adhatoda vasica, Nees.),* Chonlai *(Amaranthus viridis),* Bui *(Aerva tomentosa, burm),* Bui *(Aerva javanica),* Satyanashi *(Arqernone Mexica),* Palak *(Beta vulgarie, Linn),* Lal Satta *(Boerhania diffusa),* Boganvel *(Bougainvillea spectabilis),* Karaunda *(Carissa spinarum),* Aak *(Calotropis procera, Ait),* Akra *(Calotropis gigantea, Linn),* Bagru *(Cleome brachycarpa),* Bathua *(Chenopodium album, Linn),* Kharshna, Sinian *(Crotolaria burhia,Buch),* Phog *(Calligonum polygonoides),* Bokana *(Commelina bengalensis),* Dhatura *(Datura metel),* Bhangra *(Eclipta prostrata,Linn),* Thor *(Euphorbia neriifolia, Linn),* Thor *(Euphorbia nivulia, "Ham),* Gangeran *(Grewia tenax),* Lana *(Haloxylon sallcornlcum),* Kheenp *(Leptadenia pyrotechnica,Roxb),* Morali *(Lycium barbarum),* Naaq-phani *(Opuntia elatior, Mill),* Ban Tulsi *(Ocimum sanclum),* Arand *(Ricinus communis, Linn),* Dasran *(Rhus mysurensis,Heyne),* Sarpgandha *(Rauwolfia Serpentine, Linn),* Sajee *(Salsala griffithi),* Kateli *(Solenurn surattense),* Gokhru *(Tribuu_surattense),* Dudhi *(Vallatis solanace, roth),* Hiran Khuri *(Wattakaka volubilis),* Asva gandha *(Withanid sormifera)* etc;

AND WHEREAS, the Tal Chhapar Wildlife Sanctuary provides habitat for faunal species such as Black Buck *(Antilope cervicapra),* lndian gazzelIe *(GazeIIa gazelIa*), Blue Bull or Nilgai *(Boselaphus tragocamelus),* Desert Fox *(Vulpes vulpes pusilla),* Desert Cat *(Felis Iibyca),* Stripped Squirrel *(Funambulees pennanti),* Hedge Hog *(Hemiechinus auritus(Gmelin)),* Hare Indian *(Lepus nigricollis ruficaudatus),* Hare Desert *(Lepus nigricollis dayanus),* Indian Porcupine *(Hystrise indica(Kerr),* Indian Gerbille *(Tatera indica),* Jungle Cat *(Felis chaus(Gildenstaedt)),* Mongoose *(Herpestes edwardssii) etc;*

AND WHEREAS, the major avi-faunal species present in the Wildlife Sanctuary are Demoiselle crane *(Grus virgo),* Common crane *(Grus grus),* Bar-headed Goose *(Anser indicus),* Ruddy Shellduck *(Tadorna ferruginia),* Common Teal *(Anas crecca),* Black-shouldred kite *(Elanus caeruleus),* Shikra *(Accipiter badius),* Tawny Eagle *(Aquila*

rapax), Laggar falcon (Falco jugger), Red-headed Falcon *(Falco chicquera), Merlin (Falco columbarius),* Common Kestrel *(Falco tinnunculus),* Lesser Kestrel *(Falco naumanni),* Steppe eagle *(Aquila nipalenses),* Greater-spotted Eagle *(Clanga clanga),* Eastern Imperial Eagle *(Aquila heliacal),* Spotted Owlet *(Athena brahma),* Eurasian Eagle Owl *(Bubo bubo),* Short-eared Owl *(Asio flammeus),* Stoliczka's bushchat *(Saxicola macrorhynchus),* Hen Harrier *(Circus cyaneus),* Pallid Harrier *(Circus macrourus),* Montagu's Harrier *(Circus pygargus),* Western Marsh Harrier *(Circus aeruginosus),* Siberian Stonechat *(Saxicola maurus),* Richard's Pipit *(Anthus richardi),* Long-billed Pipit *(Anthus similis),* Tawny Pipit *(Anthus campestris),* Water Pipit *(Anthus spinoletta),* Black Drongo *(Dicrurus macrocercus),* Short-toed Snake Eagle *(Circaetus gallicus),* Pied Avocet *(Recurvirostra avosetta),* Northern Pintail *(Anas acuta),* Common Coot *(Fulica atra),* White-tailed Lapwing *(Vanellus leucurus),* Red-wattled Lapwing *(Vanellus indicus),* Yellow-wattled Lapwing *(Vanellus malabaricus),* Sociable Lapwing *(Vanellus gregarious),* Little Grebe *(Tachybaptus ruficollis),* Black-winged Stilt *(Himantopus himantopus),* Grey Francolin *(Francolinus pondicerianus),* Ruff *(Philomachus pugnax),* Gadwall *(Anas strepera),* Eurasian Wigeon *(Mareca Penelope), Chestnut-bellied Sandgrouse (Pterocles exustus)etc. {Birds recoded in* ***Talchhapar Wildlife Sanctuary at Appendix-VI}***

AND WHEREAS, important species of butterfly, insects and reptiles present in the Tal Chhapar Wildlife Sanctuary are Water scavenger beetle *(Hydrophilidae),* Predacious diving beetle *(Agabus bicolor),* Riffle beetle *(Elmidae),* Marsh beetle *(Prionocyphon limbata),* Backswimmer *(Notonectidae),* Water boatman *(Corixidae),* Water striders *(Gerridae),* Water scorpion *(Nepidae),* Butterflies *(Rhopalocera),* Stick insect *(Phasmatodea),* Praying mantis *(Mantodea),* Grasshopper *(Caelifera),* Locust *(disambiguation),* Cricket *(Gryllidae),* Metallic bettle *(Buprestidae),* Dung beetle *(Phanaeus vindex MacLachlan),* Toilet beetle *(Virginia scoffed),* Honey bee *(Apis mellifera), Wasp (Vespula vulgaris),* Xylocoppa *(*Carpenter bee*),* Sand wasp *(Bembicini),* Mud wasp *(Mud dauber),* Sphinx moth *(Sphingidae),* Fire fly *(Lampyridae), Cicada (Cicadidae),* Termite *(Isoptera),* Cockroach *(Blattella asahinai),* Blister beetle *(Meloidae),* Pentatomid bug *(Pentatomidae),* Buprestid beetle *(Buprestidae),* Monitor Lizard *(Varanus griseus dasudin)* Python *(Cenus python)* Starred tortoise *(Geochalone elegans),* Indian cobra *(Naja naja)* Common Indian Krait *(Bungarus caeruleus),* Russell's Viper *(Vipera russelli),* Saw-saled Viper *(Echis Carinata),* John Earth Boa *(Eryx johnii),* Spiny tailed lizard *(Uromastyx hardwickii),* Dhaman or Rat Snake *(Ptyas mucosus),* Brooks gecko *(Hemidactylus brooki),* House Gecko *(Hemidactylus flaviviridis),* Common Garden Lizard *(Calotes versicolor),* Common Skink *(Mabuya carinata) ;*

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundary which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Tal Chhapar Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent of 01 kilometres to 3.4 kilometres around the boundary of Tal Chhapar Wildlife Sanctuary in the State of Rajasthan as the Tal Chhapar Wildlife Sanctuary, Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) the extent of Eco-Sensitive Zone varies from **1.0 kilometres to 3.4 kilometres** around the Tal Chhapar Wildlife Sanctuary. The area of Eco-sensitive Zone is **22.45 square kilometres.** The Extent of Eco-Sensitive zone in different directions (kilometres) as given below:-

DIRECTION	EXTENT
North	1.0 Km
North-East	2.9 Km
East	1.0 Km
South-East	1.0 Km
South	3.4 Km
South-West	1.2 Km
West	1.6 Km
North-West	1.3 Km

(2) **T**he boundary description of Tal Chhapar Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone is at **Annexure- I.**

(3) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-II.**

(4) The map of the Eco-Sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III A, Annexure-III B, Annexure-III C, Annexure-III D, Annexure-III E and Annexure-III F.**

(5) The geo-coordinates of Tal Chhapar Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are given in **Annexure-IVA and Annexure-IV B.**

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone. –

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

i. Environment;

ii. Forest and Wildlife;

iii. Agriculture;

iv. Revenue;

v. Urban Development;

vi. Tourism;

vii. Rural Development;

viii. Irrigation and Flood Control;

ix. Municipal;

x. Panchayati Raj;

xi. Public Works Department;

xii. Highways; and

xiii. State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) Adequate publicity shall be given to the provisions of the Zonal Master Plan

3. Measures to be taken by the State Government. -The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.–

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

iii. Small scale industries not causing pollution;

iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

v. Promoted activities and given under paragraph 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas**.**

(3) Tourism or Eco-tourism.-

a. All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

b. the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

c. the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

d. the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;

e. The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.-All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. -Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution. -Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. –Bio medical waste management shall be as under:

a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management. - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial units. –

a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

b) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Establishment of Solid Waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No Solid Waste disposal site and waste treatment/ processing facility of solid waste is permitted within eco sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospital etc. is prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited.
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts*	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities*	(a) No New commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, as amended from time to time and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (Underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
18.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
24.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
26.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

Subject to the outcome of directions of Hon'ble Supreme Court in W.P. 131377 of 2022 in W.P. 202 of 1995, T.N. Godavarman matter.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification:

For monitoring compliance of the provisions of this notification, the Central Government constitutes a Monitoring Committee comprising of the following namely:-

S.N.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	District Collector, Churu	Chairman, *'ex-officio'*;
2.	One representative of Non-Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Rajasthan	Non-official Member;
3.	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by Government of Rajasthan	Member;
4.	One expert in Biodiversity nominated by the Government of Rajasthan	Member;
5.	A representative of the Public Works Department	Member, *'ex-officio'*;
6.	A representative of the Town Planning Department	Member, *'ex-officio'*;
7.	A representative of the Industry Department	Member, *'ex-officio'*;
8.	Regional Officer (RO) of the State Pollution Control Board	Member, *'ex-officio'*;
9.	Wildlife Warden, Churu	Member, *'ex-officio'*;
10.	Range Forest Officer, Tal Chhapar Wildlife Sanctuary	Member, *'ex-officio'*;
11.	Assistant Conservator of Forests, Tal Chhapar Wildlife Sanctuary	Member, *'ex-officio'*;
12.	Deputy Conservator of Forests, Churu	Member Secretary, *'ex-officio'*;

6. Terms and Functions:

(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinize, the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro-forma appended at **Annexure V**.

(6) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures: - The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders, Supreme Court, etc.:- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F.No.25/09/2019-ESZ]

DR. S. KERKETTA, Scientist-G

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND TALCHAPPAR WILDLIFE SANCTUARY

Eastern Boundary: Kishangarh-Hanumangarh Mega Highway From Railway station Chhapar to the point where Revenue village boundary of Dewani-Gulerian intersect the highway, except from Rampur village till junction of Devani Chhapar road and mega highway where it is at less than 01 km distance from sanctuary, it passes through farms of Rampur village.

Southern Boundary: Revenue village boundary of villages Dewani-Gulerian and Soorwas-Gulerian from the Megahighway to the point where village Soorwas-Sujangarh kattani Rasta intersect therevenue boundary; and, Soorwas-Sujangarh kattani Rasta upto its origin in the village Soorwas.

Western Boundary: Village Soorwas to the first road curve on the Chadwas - Bidasar road to Chhapar town at a distance of 1 km from sanctuary boundary, passing through the agricultural fields of Charwas & Chhapar.

Northern Boundary: From boundary of Charwas village to Chhapar town (at adistance of 1km from sanctuary).

Land use pattern of the land included in ESZ

1. Reserved Forest - 719 hectares notified and being managed as wild life sanctuary Taal Chhapar.

2. Forest land - 78hectares adjoining to the west boundary of the sanctuary.

3. Salt Pans - 450 hectares, adjoining to the west boundary of the sanctuary, being managed under control of Industrial Department;

4. Private Agricultural land, Revenue Lands, School, Gandhisagar, Royal Kothi and scattered residences etc :- About 1710 hectares.

5. East of Sanctuary:-Gowshala Chhapar, about 300 hectares

ANNEXURE- II

List of Villages/Town falling within the Eco-sensitive Zone along with Geo-coordinates.

GEO CORDINATES OF PROMINENT BOUNDARIES OF THE VILLAGES/TOWNS FALLING IN THE ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	District/Division	Tehsil	Name of Villages/Towns	Latitude	Longitude
i.	Churu	Sujangarh	Chadwas	27° 48' 02.1" N	74° 24' 35.3" E
ii.	Churu	Sujangarh	Dewani	27° 47' 29.4" N	74° 27' 16.8" E
iii.	Churu	Sujangarh	Rampur	27° 48' 00.8" N	74° 27' 39.5" E
iv.	Churu	Sujangarh	Soorwas	27° 46' 22.7" N	74° 25' 31.0" E
v.	Churu	Sujangarh	Chhapar	27° 48' 39.9" N	74° 26' 14.0" E

ANNEXURE- IIIA

LOCATION MAP OF TALCHHAPAR WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

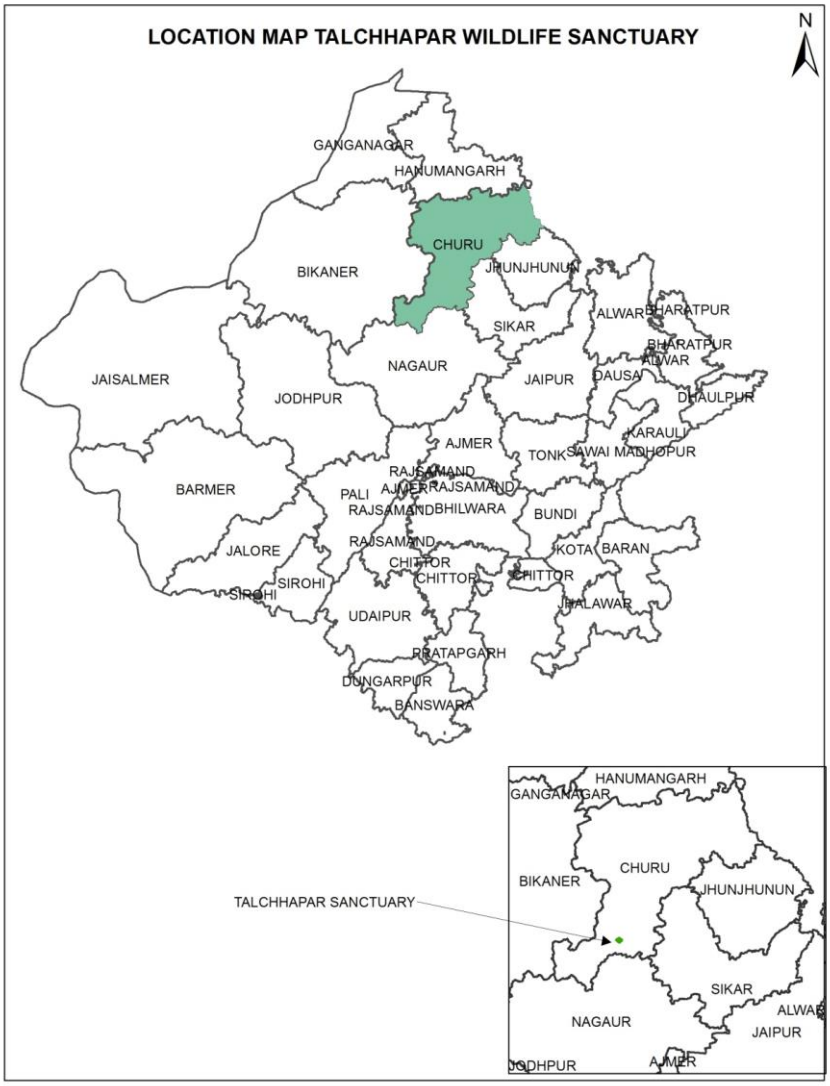

ANNEXURE-III B

DIGITAL MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

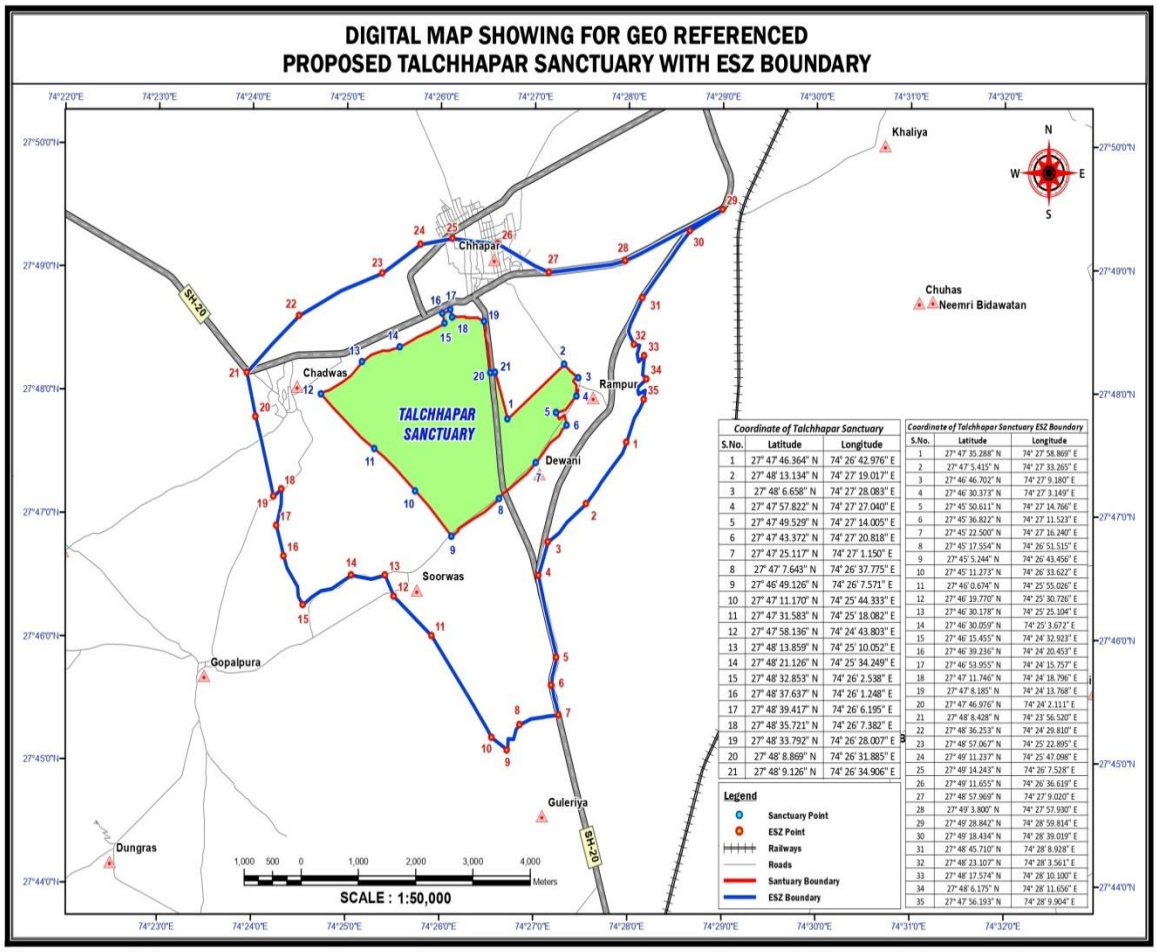

ANNEXURE- III C

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE TALCHHAPAR WILDLIFE SANCTUARY ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

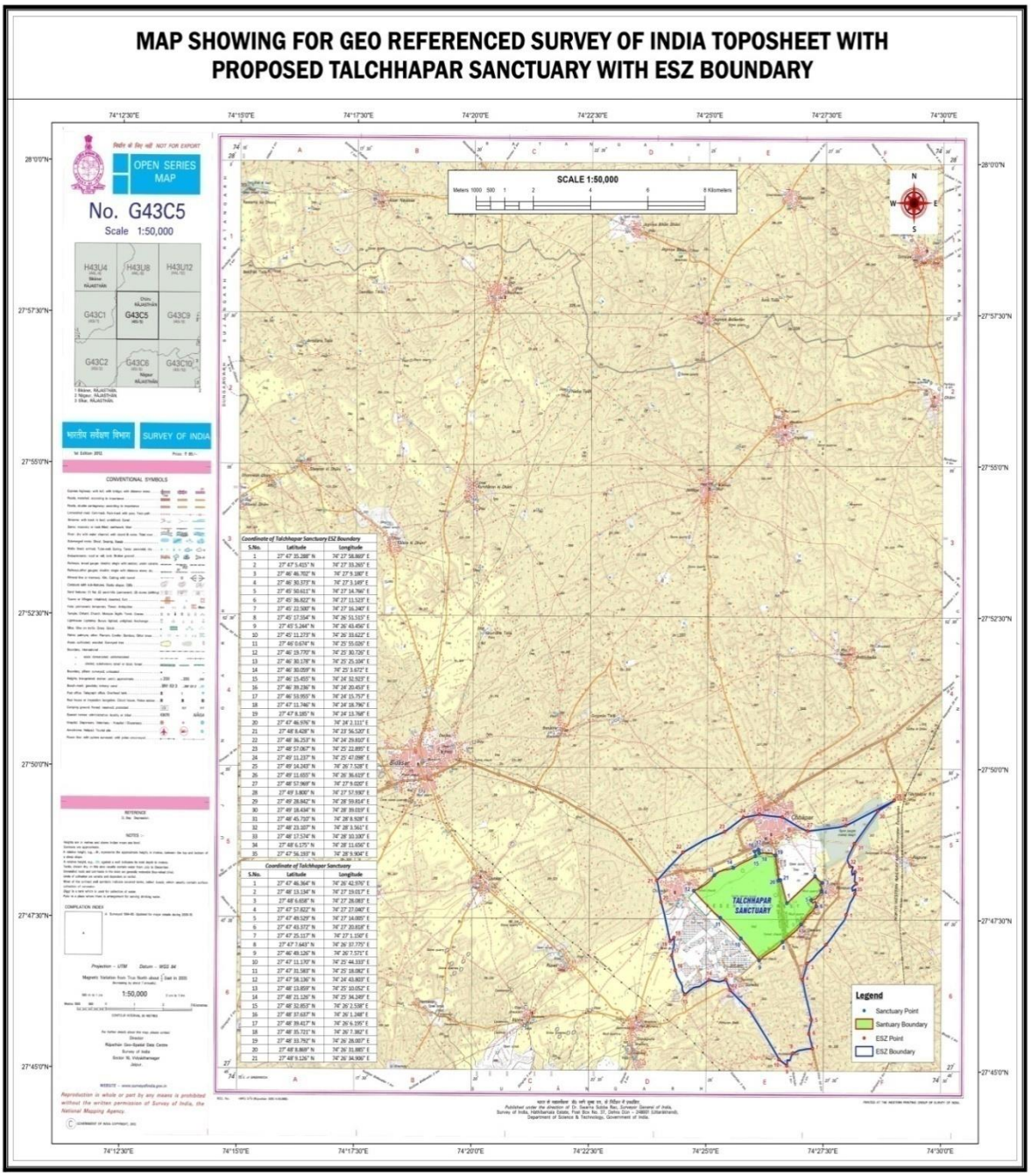

ANNEXURE- III D

LAND USE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OFTALCHHAPAR WLS

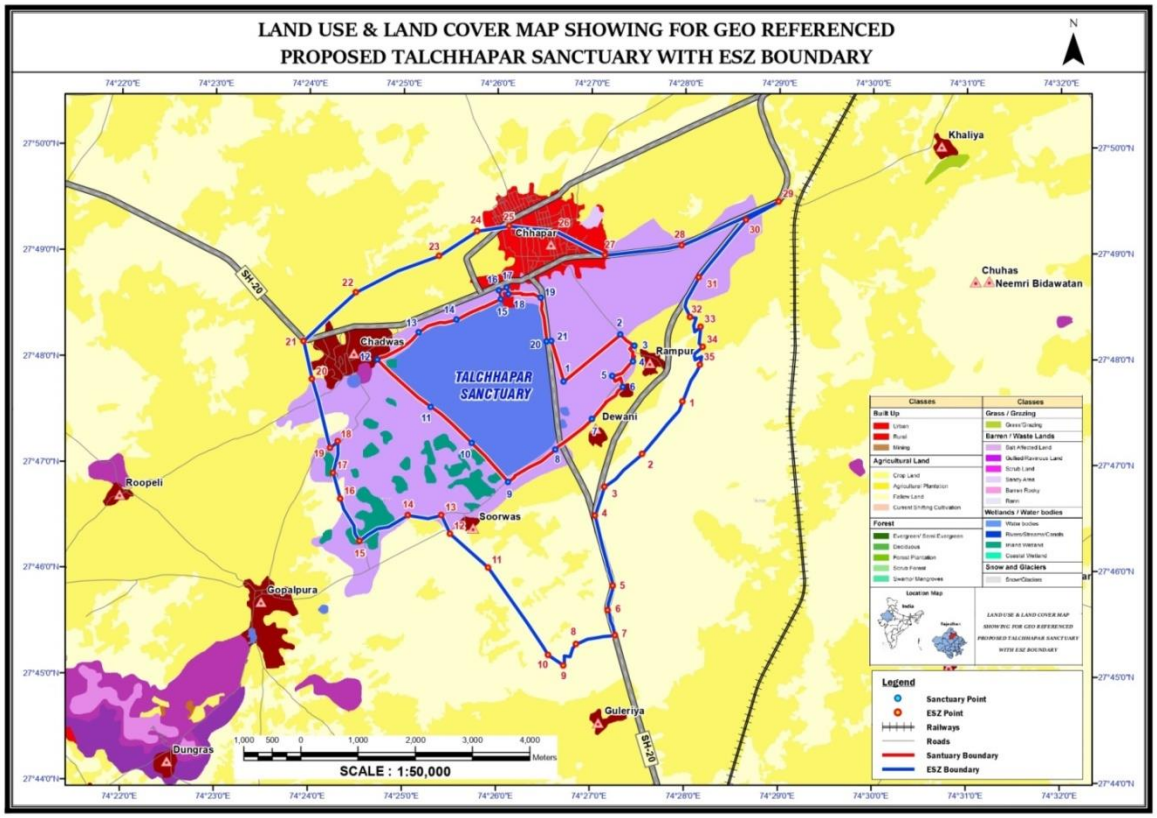

ANNEXURE- III E

LAND USE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND TAL CHHAPAR WILDLIFE SANCTUARY

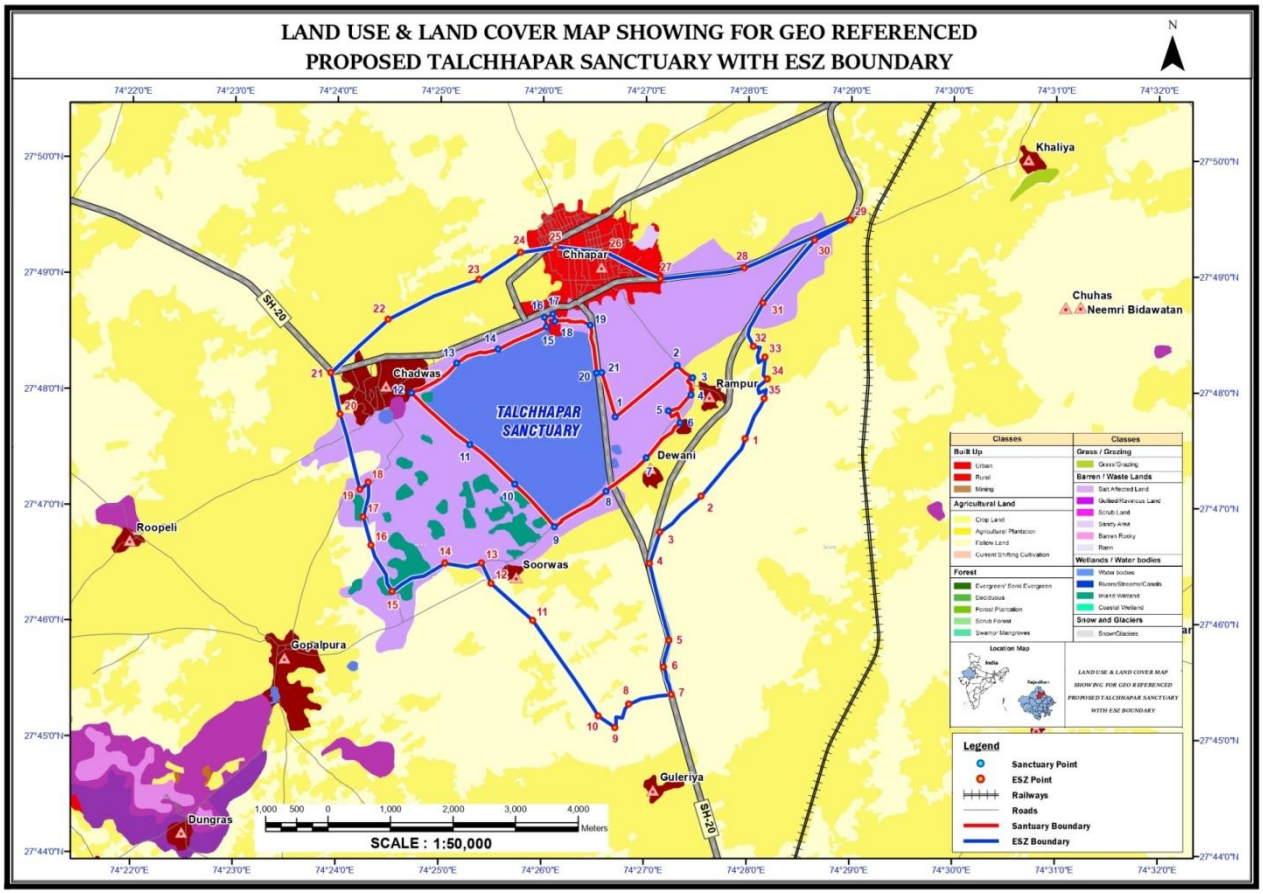

ANNEXURE- III F

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUNDTALCHAPPAR WILDLIFE SANCTUARY

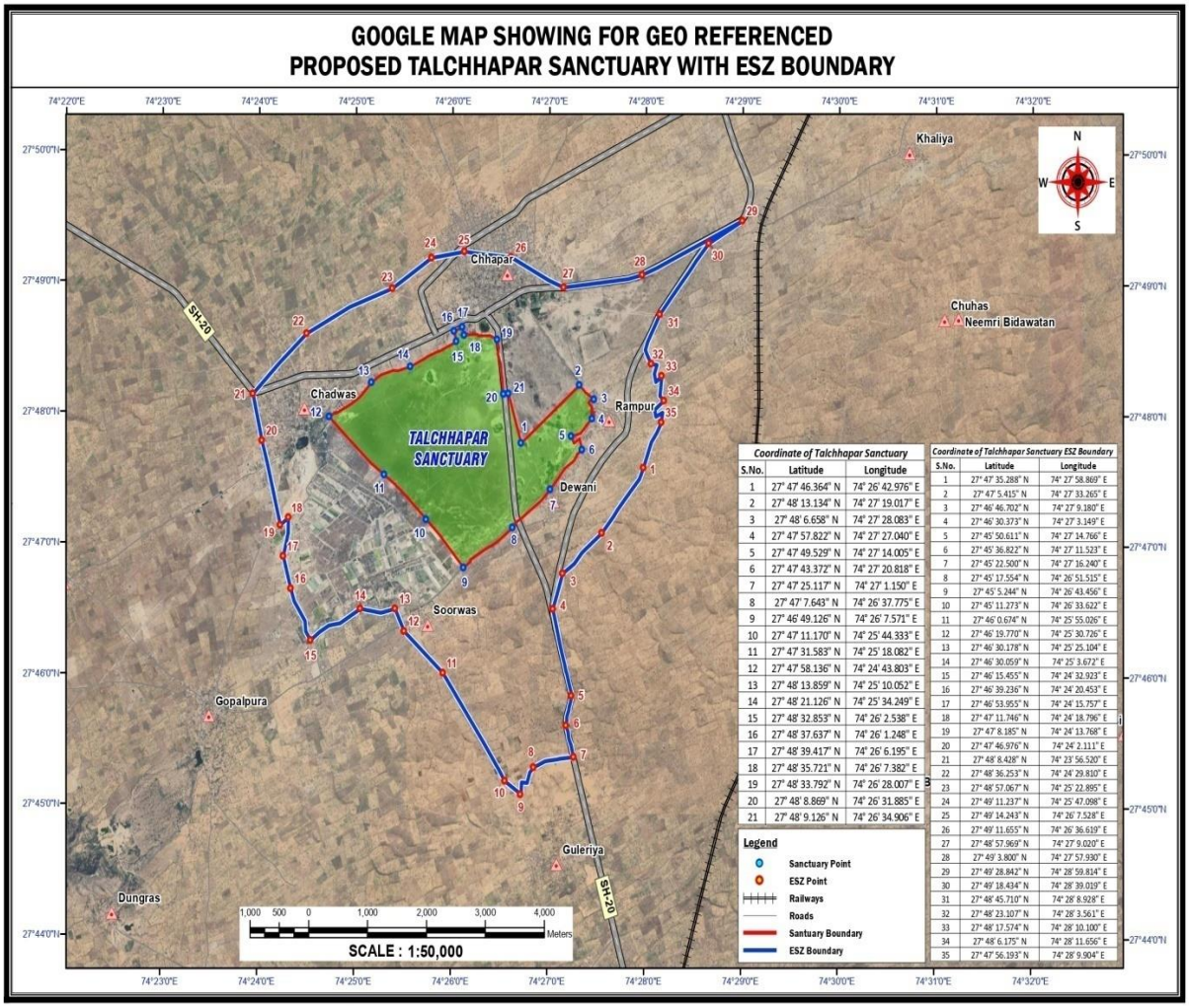

Coordinate of Talchhapar Sanctuary

S.No.	Latitude	Longitude
1	27° 47' 46.364" N	74° 26' 42.976" E
2	27° 48' 13.134" N	74° 27' 19.017" E
3	27° 48' 6.658" N	74° 27' 28.083" E
4	27° 47' 57.822" N	74° 27' 27.040" E
5	27° 47' 49.529" N	74° 27' 14.005" E
6	27° 47' 43.372" N	74° 27' 20.818" E
7	27° 47' 25.117" N	74° 27' 1.150" E
8	27° 47' 7.643" N	74° 26' 37.775" E
9	27° 46' 49.126" N	74° 26' 7.571" E
10	27° 47' 11.170" N	74° 25' 44.333" E
11	27° 47' 31.583" N	74° 25' 18.082" E
12	27° 47' 58.136" N	74° 24' 43.803" E
13	27° 48' 13.859" N	74° 25' 10.052" E
14	27° 48' 21.126" N	74° 25' 34.249" E
15	27° 48' 32.853" N	74° 26' 2.538" E
16	27° 48' 37.637" N	74° 26' 1.248" E
17	27° 48' 39.417" N	74° 26' 6.195" E
18	27° 48' 35.721" N	74° 26' 7.382" E
19	27° 48' 33.792" N	74° 26' 28.007" E
20	27° 48' 8.869" N	74° 26' 31.885" E
21	27° 48' 9.126" N	74° 26' 34.906" E

Coordinate of Talchhapar Sanctuary ESZ Boundary

S.No.	Latitude	Longitude
1	27° 47' 35.288" N	74° 27' 58.869" E
2	27° 47' 5.415" N	74° 27' 33.265" E
3	27° 46' 46.702" N	74° 27' 9.180" E
4	27° 46' 30.373" N	74° 27' 3.149" E
5	27° 45' 50.611" N	74° 27' 14.766" E
6	27° 45' 36.822" N	74° 27' 11.523" E
7	27° 45' 22.500" N	74° 27' 16.240" E
8	27° 45' 17.554" N	74° 26' 51.515" E
9	27° 45' 5.244" N	74° 26' 43.456" E
10	27° 45' 11.273" N	74° 26' 33.622" E
11	27° 46' 0.674" N	74° 25' 55.026" E
12	27° 46' 19.770" N	74° 25' 30.726" E
13	27° 46' 30.178" N	74° 25' 25.104" E
14	27° 46' 30.059" N	74° 25' 3.672" E
15	27° 46' 15.455" N	74° 24' 32.923" E
16	27° 46' 39.236" N	74° 24' 20.453" E
17	27° 46' 53.955" N	74° 24' 15.757" E
18	27° 47' 11.746" N	74° 24' 18.796" E
19	27° 47' 8.185" N	74° 24' 13.768" E
20	27° 47' 46.976" N	74° 24' 2.111" E
21	27° 48' 8.428" N	74° 23' 56.520" E
22	27° 48' 36.253" N	74° 24' 29.810" E
23	27° 48' 57.067" N	74° 25' 22.895" E
24	27° 49' 11.237" N	74° 25' 47.098" E
25	27° 49' 14.243" N	74° 26' 7.528" E
26	27° 49' 11.655" N	74° 26' 36.619" E
27	27° 48' 57.969" N	74° 27' 9.020" E
28	27° 49' 3.800" N	74° 27' 57.930" E
29	27° 49' 28.842" N	74° 28' 59.814" E
30	27° 49' 18.434" N	74° 28' 39.019" E
31	27° 48' 45.710" N	74° 28' 8.928" E
32	27° 48' 23.107" N	74° 28' 3.561" E
33	27° 48' 17.574" N	74° 28' 10.100" E
34	27° 48' 6.175" N	74° 28' 11.656" E
35	27° 47' 56.193" N	74° 28' 9.904" E

Annexure IV A

Latitude-Longitude of Prominent Locations along the boundary of Tal Chappar Wildlife Sanctuary & Eco-sensitive Zone of the Protected Area shown on Map

Coordinatse of Tal chhapar Sanctuary		
S.No.	**Latitude**	**Longitude**
1	27° 47' 46.364" N	74° 26' 42.976" E
2	27° 48' 13.134" N	74° 27' 19.017" E
3	27° 48' 6.658" N	74° 27' 28.083" E
4	27° 47' 57.822" N	74° 27' 27.040" E
5	27° 47' 49.529" N	74° 27' 14.005" E
6	27° 47' 43.372" N	74° 27' 20.818" E
7	27° 47' 25.117" N	74° 27' 1.150" E
8	27° 47' 7.643" N	74° 26' 37.775" E
9	27° 46' 49.126" N	74° 26' 7.571" E
10	27° 47' 11.170" N	74° 25' 44.333" E

11	27° 47' 31.583" N	74° 25' 18.082" E
12	27° 47' 58.136" N	74° 24' 43.803" E
13	27° 48' 13.859" N	74° 25' 10.052" E
14	27° 48' 21.126" N	74° 25' 34.249" E
15	27° 48' 32.853" N	74° 26' 2.538" E
16	27° 48' 37.637" N	74° 26' 1.248" E
17	27° 48' 39.417" N	74° 26' 6.195" E
18	27° 48' 35.721" N	74° 26' 7.382" E
19	27° 48' 33.792" N	74° 26' 28.007" E
20	27° 48' 8.869" N	74° 26' 31.885" E
21	27° 48' 9.126" N	74° 26' 34.906" E

Annexure IV B

Tal Chhapar Wildlife Sanctuary Detailed ESZ G.P.S. Points

Coordinate of Tal chhapar Sanctuary ESZ Boundary		
S.No.	**Latitude**	**Longitude**
1	27° 47' 35.288" N	74° 27' 58.869" E
2	27° 47' 5.415" N	74° 27' 33.265" E
3	27° 46' 46.702" N	74° 27' 9.180" E
4	27° 46' 30.373" N	74° 27' 3.149" E
5	27° 45' 50.611" N	74° 27' 14.766" E
6	27° 45' 36.822" N	74° 27' 11.523" E
7	27° 45' 22.500" N	74° 27' 16.240" E
8	27° 45' 17.554" N	74° 26' 51.515" E
9	27° 45' 5.244" N	74° 26' 43.456" E
10	27° 45' 11.273" N	74° 26' 33.622" E
11	27° 46' 0.674" N	74° 25' 55.026" E
12	27° 46' 19.770" N	74° 25' 30.726" E
13	27° 46' 30.178" N	74° 25' 25.104" E
14	27° 46' 30.059" N	74° 25' 3.672" E
15	27° 46' 15.455" N	74° 24' 32.923" E
16	27° 46' 39.236" N	74° 24' 20.453" E
17	27° 46' 53.955" N	74° 24' 15.757" E
18	27° 47' 11.746" N	74° 24' 18.796" E
19	27° 47' 8.185" N	74° 24' 13.768" E
20	27° 47' 46.976" N	74° 24' 2.111" E
21	27° 48' 8.428" N	74° 23' 56.520" E
22	27° 48' 36.253" N	74° 24' 29.810" E
23	27° 48' 57.067" N	74° 25' 22.895" E
24	27° 49' 11.237" N	74° 25' 47.098" E

25	27° 49' 14.243" N	74° 26' 7.528" E
26	27° 49' 11.655" N	74° 26' 36.619" E
27	27° 48' 57.969" N	74° 27' 9.020" E
28	27° 49' 3.800" N	74° 27' 57.930" E
29	27° 49' 28.842" N	74° 28' 59.814" E
30	27° 49' 18.434" N	74° 28' 39.019" E
31	27° 48' 45.710" N	74° 28' 8.928" E
32	27° 48' 23.107" N	74° 28' 3.561" E
33	27° 48' 17.574" N	74° 28' 10.100" E
34	27° 48' 6.175" N	74° 28' 11.656" E
35	27° 47' 56.193" N	74° 28' 9.904" E

Annexure –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-Sensitive ZoneMonitoring Committee. -

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure:
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure:
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure:
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006:

   Details may be attached as separate Annexure:
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.